[2009] 4 एससीआर 515

अजय कुमार घोष

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य।

आपराधिक अपील संख्या 485/2009

18 मार्च, 2009

(तरुण चटर्जी बनाम सिरपुरकर, जेजे)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 244, 245, 246 - उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से आधिकारिक शिकायत जिसमें कहा गया है कि आरोपी व्यक्ति अदालत में एक मनगढ़ंत और जाली पत्र का इस्तेमाल करने के दोषी हैं, जिसमें उनकी ओर से सक्रिय मिलीभगत और साजिश थी - समन जारी किया गया - धारा २४५(२) सीआरपीसी के तहत आवेदन खारिज कर दिया गया - आरोप तय किए गए - सत्यता - माना गया: आरोप स्पष्ट रूप से समय से पहले तय किए गए - आरोप तय करने से पहले सबूत होने चाहिए - जिरह करने का अवसर खो दिया गया - आरोप तय करने का आदेश रद्द - मामला ट्रायल कोर्ट में वापस जाएगा - अभियोजन पक्ष को धारा 244(1) सीआरपीसी के तहत गवाह पेश करने होंगे । और जिरह करने का अवसर दिया जाएगा - उसके बाद ही विचारण न्यायालय यह निर्णय लेगा कि आरोप तय किए जाएं या नहीं - दंड संहिता, 1860, धारा 177, 181, 182, 192, 196, 199, 209, 466, 468, 471, 474।

उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने इस आशय की शिकायत की कि आरोपी व्यक्ति न्यायालय में एक मनगढ़ंत और जाली पत्र का उपयोग करने के दोषी हैं, जिसमें उनकी ओर से सक्रिय मिलीभगत और साजिश है। सीजेएम ने शिकायत का संज्ञान लिया और समन जारी करने का आदेश दिया। आरोपी ने रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और इसे खारिज कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर की गई और इसे समय से पहले खारिज कर दिया गया, इसके बाद अपीलकर्ता सीजेएम के समक्ष पेश हुआ, जमानत प्राप्त की और आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया और फ्रेम करने की कार्यवाही शुरू कर दी

आरोप । अपीलकर्ता ने रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसे खारिज कर दिया गया। इसलिए अपील।

अपील का निपटारा करते हुए न्यायालय ने

निर्णय: 1.1 Cr.PC की धारा 245(1) और 245(2) में स्पष्ट अंतर है। धारा 245(1) के तहत मजिस्ट्रेट को धारा 244 के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य का लाभ मिलता है और उसे इस बात पर विचार करना होता है कि यदि साक्ष्य का खंडन नहीं किया जाता है , तो क्या अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित होगी। यदि साक्ष्य में कोई स्पष्ट रूप से दोषी ठहराने वाली सामग्री नहीं है , तो मजिस्ट्रेट धारा 245(1) Cr.PC के तहत अभियुक्त को बरी कर देता है । [पैरा 16] [530-FG]

1.2 धारा 245(2) Cr.PC के अंतर्गत स्थिति , हालांकि, भिन्न है। वहां, उप-धारा (2) के अंतर्गत, मजिस्ट्रेट के पास मामले के किसी भी पिछले चरण में, यानी, ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने से पहले भी, अभियुक्त को दोषमुक्त करने का अधिकार है। हालांकि, धारा 245(2) Cr.PC के अंतर्गत अभियुक्त को दोषमुक्त करने के लिए , मजिस्ट्रेट को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि आरोप निराधार है। उस चरण में साक्ष्य पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि कोई साक्ष्य ही नहीं है। मजिस्ट्रेट यह निर्णय अभियुक्त के न्यायालय में पेश होने या पेश किए जाने या धारा 244 Cr.PC के अंतर्गत साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने से पहले ले सकता है। धारा 245(2) Cr.PC में प्रयुक्त शब्द "मामले के किसी भी पिछले चरण में", इस स्थिति को स्पष्ट रूप से सामने लाते हैं। [पैरा 17] [530-एच; 531-एबी]

1.3 धारा 245 सीआरपीसी के तहत संदर्भित पिछला चरण सामान्यतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि अगला चरण केवल धारा 244 सीआरपीसी के तहत वारंट-मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति है । धारा 244 सीआरपीसी के तहत , अभियुक्त की उपस्थिति पर, मजिस्ट्रेट अभियोजन पक्ष की सुनवाई करता है और अभियोजन पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत किए जा सकने वाले सभी साक्ष्य लेता है। वह उस चरण में आवेदन पर किसी भी गवाह को समन भी जारी कर सकता है।

अजय कुमार घोष
बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य।

किए गए आरोप। उसके बाद धारा 245(1) Cr.PC का चरण आता है , जहाँ मजिस्ट्रेट धारा 244(1) Cr.PC के अंतर्गत लिए गए सभी साक्ष्यों पर विचार करने का कार्य करता है, और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाया गया है, जो कि यदि अप्रतिबंधित है , तो अभियुक्त की दोषसिद्धि को उचित ठहराएगा, तो मजिस्ट्रेट उसे बरी करने के लिए आगे बढ़ता है। हालाँकि, धारा 245(2) Cr.PC के अंतर्गत स्थिति भिन्न है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है। इसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट को मामले के किसी भी पिछले चरण में अभियुक्त को बरी करने का अधिकार है। इस प्रकार, मजिस्ट्रेट अभियुक्त को तब भी बरी कर सकता है, जब अभियुक्त समन या वारंट के अनुसरण में उपस्थित होता है और धारा 244 Cr.PC के अंतर्गत साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने से पहले भी , बरी करने के लिए आवेदन करता है। [पैरा 18] [532-CDEFG]

1.4 वर्तमान मामले में, मजिस्ट्रेट ने धारा 203 Cr.PC के तहत शिकायत को खारिज नहीं किया । हालाँकि, चूँकि यह न्यायालय द्वारा की गई शिकायत थी, इसलिए धारा 200 Cr.PC के तहत शिकायतकर्ता या उसके किसी गवाह की जाँच करने का कोई सवाल ही नहीं था। इसके अलावा, धारा 202 Cr.PC के तहत जाँच के लिए कोई निर्देश जारी करने का भी कोई सवाल ही नहीं था , क्योंकि शिकायत न्यायालय द्वारा की गई थी । [पैरा 19] [532-एच; 533-ए]

2. चूंकि यह न्यायालय द्वारा की गई शिकायत थी, इसलिए शिकायतकर्ता या उसके गवाहों की शपथ पर जांच करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, मजिस्ट्रेट ने केवल धारा 204 सीआरपीसी के तहत प्रक्रिया जारी की । जब अभियुक्त धारा 244 सीआरपीसी के तहत भेजे गए समन के अनुसरण में उपस्थित हुआ, तो बचाव पक्ष ने एक आवेदन प्रस्तुत किया। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उस चरण में डिस्चार्ज आवेदन पूरी तरह से उचित था। इसलिए, इस डिस्चार्ज आवेदन के अलावा मजिस्ट्रेट के पास जो उपलब्ध था , वह केवल एक शिकायत थी । शिकायत के अलावा मजिस्ट्रेट के पास ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं था, जिस पर फ्रेमिंग पर विचार किया जा सके।

के अनुसार । मजिस्ट्रेट निस्संदेह, डिस्चार्ज आवेदन के आधार पर धारा 245(2) सीआरपीसी के तहत कार्यवाही कर सकते थे और उसे डिस्चार्ज कर सकते थे। हालाँकि, उन्हें उस चरण में डिस्चार्ज करने के लिए कारण बताने की आवश्यकता होती, जब उनके पास केवल एक शिकायत को छोड़कर कोई सबूत या कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं थी। [पैरा 19] [533-EFG]

3.1 धारा 245(2) Cr.PC के तहत आदेश के परिणामस्वरूप अभियुक्त को बरी कर दिया जाता है, जबकि धारा 246 Cr.PC के तहत आदेश अभियुक्त के लिए पूर्ण परीक्षण का सामना करने की स्थिति बनाता है। इसलिए, दोनों धाराओं की व्याख्या अलग-अलग क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए थोड़े अलग तरीके से करनी होगी, जिसमें वे काम करती हैं। धारा 246 Cr.PC में आने वाले शब्द "या मामले के किसी भी पिछले चरण में" में धारा 245 भी शामिल होगी, जहां अभियुक्त को धारा 245 Cr.PC के तहत बरी नहीं किया गया है, जबकि धारा 246(2) में समान शब्द में किसी भी साक्ष्य को दर्ज किए जाने से पहले का चरण भी शामिल हो सकता है। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि धारा 245 Cr.PC में आने वाले शब्द "मामले के किसी भी पिछले चरण में" को उसी अर्थ में दिया जाना चाहिए जब वे शब्द धारा 246 Cr.PC में आते हैं । [पैरा 23] [536-EF]

3.2 इस मामले के तथ्यों पर आते हुए, यह स्पष्ट है कि अभियुक्तों को गवाहों से जिरह करने का अवसर खो दिया गया है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने सीधे आरोप तय करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। इस दृष्टि से, आरोप तय करने के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और उसे रद्द किया जाता है। मामला अब ट्रायल कोर्ट के समक्ष वापस जाएगा, जहां अभियोजन पक्ष धारा 244(1) सीआरपीसी के तहत गवाहों को पेश कर सकता है । और अभियुक्तों को जिरह करने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद ही ट्रायल कोर्ट यह तय करेगा कि आरोप तय किया जाना है या नहीं। ऊपर दिए गए कारणों के मद्देनजर इस मामले में तय किया गया आरोप स्पष्ट रूप से समय से पहले है।

इसलिए, आरोप तय करने वाले आदेश को रद्द करना होगा । [पैरा 27] [539-जीएच; 540-एबी]

वीरेन्द्र बनाम आश्रय मेकर्स 1999 क्रिमिनल लॉ जर्नल 4206 - खारिज ।

इकबाल सिंह मारवाह एवं अन्य . बनाम मीनाक्षी मारवाह एवं अन्य . 2005 (4) एससीसी 370; क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल और अन्य । बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य 1971 (3) एससीसी 239; लुइस डी पियादे लोबो बनाम महादेव 1984 क्रिमिनल लॉ जर्नल 513; मनमोहन मल्होत्रा बनाम पीएम अब्दुल सलाम एवं अन्य 1994 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1555; मोहम्मद शेरिफ बनाम अब्दुल करीम एआईआर 1928 मद्रास 129; गोपाल चौहान बनाम. श्रीमती सत्या 1979 क्रिमिनल लॉ जर्नल 446; संभाजी नागू बनाम. महाराष्ट्र राज्य 1979 क्रिमिनल लॉ जर्नल 390; अब्दुल नबी बनाम. गुलाम मुर्थुजा 1968 क्रिमिनल लॉ जर्नल 303; टीके अप्पू नायर बनाम अर्नेस्ट एआईआर 1967 मद्रास 262 और पी. युगेंडर राव एवं अन्य बनाम जे. सम्पूर्णा एवं अन्य 1990 क्रिमिनल लॉ जर्नल 762 - संदर्भित ।

4.1 यह न्यायालय मामले के गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त नहीं करता है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि उसे निर्देश दिया गया है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को धारा 244 (1) सीआरपीसी के तहत पेश किया जाए। किसी भी अभिव्यक्ति से अभियोजन पक्ष, जैसा भी मामला हो, अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह पैदा होने की संभावना है। इसलिए, मामले को यहीं छोड़ दिया जाता है। [पैरा 28] [540-सी]

4.2 मामला अब ट्रायल कोर्ट में वापस जाएगा और ट्रायल कोर्ट अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी गवाहों की जांच करेगा और उन गवाहों के साक्ष्य दर्ज होने के बाद ही ट्रायल कोर्ट यह तय करेगा कि आरोप तय किया जाना है या नहीं। [पैरा 29] [540-डी]

केस लॉ संदर्भ

2005 (4) एससीसी 370	करने के लिए भेजा	पैरा 10
1911 (3) सेकण्ड 239	करने के लिए भेजा	पैरा 20

1984 क्रिमिनल लॉ जर्नल 513	करने के लिए भेजा	पैरा 20
1994 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1555	करने के लिए भेजा	पैरा 20
एआईआर 1928 मद्रास 129	करने के लिए भेजा	पैरा 20
1979 क्रिमिनल लॉ जर्नल 446	करने के लिए भेजा	पैरा 20
1979 क्रिमिनल लॉ जर्नल 390	करने के लिए भेजा	पैरा 24
1968 क्रिमिनल लॉ जर्नल 303	करने के लिए भेजा	पैरा 24
एआईआर 1967 मद्रास 262	करने के लिए भेजा	पैरा 24
1990 क्रिमिनल लॉ जर्नल 762	करने के लिए भेजा	पैरा 24
1999 क्रिमिनल लॉ जर्नल 4206	खारिज कर	पैरा 26

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 485/2009

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के WP (CR.) संख्या 315/2005 में दिनांक 03/07.07.2006 के निर्णय एवं आदेश से।

रंजीत कुमार, बलराज दीवान , अरबिंदो , इशांत अपीलकर्ताओं की ओर से श्री शुक्ला ।

अजय कुमार, जेएनए , दिव्या सिंघा (मेसर्स पी . प्रतिवादी की ओर से II पारेख एंड कंपनी), रतन कुमार चौधरी , एमएस छाबड़ा ।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

वी.एस.सिरपुरकर, जे.

1. अनुमति प्रदान की गयी।

2. झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा रिट याचिका को खारिज करते हुए और आदेश की पुष्टि करते हुए एक निर्णय पारित किया गया।

ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी-अपीलकर्ता को आरोप मुक्त करने से इनकार करने के फैसले को यहां चुनौती दी गई है।

3. अपीलकर्ता अजय कुमार घोष , कुछ अन्य लोगों के साथ, भारतीय दंड संहिता (जिसे आगे संक्षेप में 'आईपीसी' कहा जाएगा) की धारा 177, 181, 182, 192, 196, 199, 209, 466, 468, 471 और 474 के तहत अपराधों के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची के समक्ष अभियोजन का सामना कर रहे हैं। ये आरोप रजिस्ट्रार जनरल, पटना उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान अपीलकर्ता सहित इन अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ दायर एक आधिकारिक शिकायत पर आधारित हैं, जो प्रासंगिक समय में भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद के निदेशक थे । उक्त शिकायत में, अन्य बातों के साथ, यह तर्क दिया गया है:

(i) श्री एम.एस. छाबड़ा , जो भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद में सहायक प्रोफेसर थे, के विरुद्ध कदाचार के लिए कार्यवाही की गई तथा तदनुसार उन पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा लगाई गई।

(ii) इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद , एक पंजीकृत सोसायटी, एक डीम्ड विश्वविद्यालय है जो स्कूल के नियमों और विनियमों और उपनियमों द्वारा शासित है। शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए वर्गीकरण और नियुक्ति की विधि और सेवा की शर्तों के मामले में, केंद्र सरकार के अनुमोदन से नियम तैयार किए जाते हैं। नियम और विनियमों का नियम 4 सामान्य परिषद के गठन को निर्धारित करता है। नियुक्ति का वर्गीकरण और विधि उपनियमों द्वारा शासित होती है। सहायक प्रोफेसर के पद पर चयन खंड 38 (बी) द्वारा शासित होता है, जबकि निलंबन और दंड उक्त उपनियमों के खंड 10 और 11 द्वारा शासित होते हैं। नियम 12 के तहत इसके खिलाफ अपील का प्रावधान है। शिकायत में आगे कहा गया है कि परिषद को उक्त उपनियमों के खंड 2 (बी) के तहत परिभाषित किया गया है

(iii) कि श्री एम.एस. छाबड़ा को दोषी पाए जाने के बाद...

अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दी गई और उन्होंने लगाए गए दंड के खिलाफ जनरल काउंसिल में अपील की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए, श्री एमएस छाबड़ा ने उक्त आदेश को रद्द करने के लिए सीडब्ल्यूजेसी संख्या 678/92 (आर) दायर की। हालांकि, इसे भी उच्च न्यायालय ने स्कूल की जनरल काउंसिल को निर्देश दिया कि वह अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुने और उसके बाद अपील का निपटारा करे। उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ, अध्यक्ष, प्रभारी निदेशक और कार्यवाहक रजिस्ट्रार, क्रमशः, श्री बीके राव , श्री एके घोष और श्री एम. रामकृष्ण ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, जिसने श्री एमएस छाबड़ा द्वारा नई अपील दायर करने के तीन महीने के भीतर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया। हालांकि, चूंकि अपील का निपटारा नहीं हुआ था, श्री एमएस छाबड़ा ने एक और रिट याचिका दायर की जिसे सीडब्लूजेसी संख्या 2932/92 (आर) के रूप में पंजीकृत किया गया और इसमें आरोप लगाया गया कि 31.03.1989 को कोई भी विभागाध्यक्ष सामान्य परिषद का सदस्य नहीं था और धारा 23 के तहत निर्धारित नियमों में संशोधन की प्रक्रिया का पालन किए बिना, अध्यक्ष, निदेशक और रजिस्ट्रार द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत नियमों के नए सेट पंजीकृत करवाने के लिए शरारती प्रयास किए गए थे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि संपर्क कार्य के लिए श्री ए.के. सिंह, संपदा-सह-सुरक्षा अधिकारी की सेवाएं ली गईं और इस प्रकार संशोधन सामान्य परिषद के संकल्प और भारत सरकार की मंजूरी के बिना किया गया, जिसमें सामान्य परिषद के सदस्य के रूप में विभागाध्यक्षों को शामिल किया गया और संशोधित एसोसिएशन के ज्ञापन और नियमों और विनियमों के लिए सामान्य परिषद के संकल्प को इस तरह से प्रस्तुत किया गया मानो वे 18.06.1992 को महानिरीक्षक पंजीकरण, पटना के पास पंजीकृत थे। उन्होंने आगे कहा कि अध्यक्ष, निदेशक और रजिस्ट्रार इस मामले में दुर्भावनापूर्ण तरीके से शामिल होकर सोसायटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 23 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का घोर उल्लंघन कर रहे हैं।

(iv) कि इस रिट याचिका पर श्री एम. रामकृष्ण , पुत्र श्री एम. सुब्बाराव द्वारा प्रतिवादियों की ओर से कार्यवाहक रजिस्ट्रार की कथित क्षमता में जवाबी हलफनामा दायर किया गया था । उक्त जवाबी हलफनामे के पैरा 37 में श्री द्वारा दी गई दलील रिट याचिका के पैरा 69 से 77 में एम.एस. छाबड़ा द्वारा दिए गए तर्कों को अस्वीकार कर दिया गया और यह दावा किया गया कि स्कूल के नियमों और विनियमों में बाद में किए गए संशोधनों के मद्देनजर, जिन्हें पंजीकरण महानिरीक्षक द्वारा अनुमोदित किया गया था, स्कूल के नियमों और विनियमों में आवश्यक संशोधन किए गए थे और यह 11.06.1992 की सामान्य परिषद की बैठक से पहले किया गया था। इस आशय का प्रमाण पत्र पंजीकरण महानिरीक्षक, पटना, बिहार के कार्यालय से प्राप्त किया गया था और पंजीकरण महानिरीक्षक द्वारा जारी पत्र को जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक-ए के रूप में संलग्न किया गया था। कथित तौर पर दिनांक 09.06.1992 को श्री द्वारा जारी किया गया पत्र विकास प्रसाद, सहायक महानिरीक्षक निबंधन, पटना, बिहार।

(v) श्री एम. रामकृष्ण ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा था कि पैरा 37 की विषय-वस्तु , जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, मामले के रिकार्ड से प्राप्त सूचना पर आधारित थी।

(vi) रिट आवेदन को पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने दिनांक 05.04.1994 के निर्णय और आदेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया था, जिसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी, जिसमें न्यायालय ने अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 09.06.1992 के पत्र की वास्तविकता के संबंध में उठाए गए मुद्दे पर विचार किया था, जिसे श्री द्वारा लिखा गया बताया गया था। विकास प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा प्रोफेसर एम. रामकृष्ण द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के साथ अनुलग्नक-ए के रूप में संलग्न है।

(vii) कि श्री को एक नोटिस भेजा गया था विक्रम प्रसाद, सहायक महानिरीक्षक पंजीयन, जिन्होंने, हालांकि, एक हलफनामा दायर कर खुलासा किया कि उक्त पत्र जाली था

इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पत्र के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

(viii) सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शिकायत दर्ज की जा रही थी, जिसके लिए पहले पटना उच्च न्यायालय द्वारा धारा 340, सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया गया था और जांच के दौरान यह पाया गया था:

(a) यह कि पत्र संख्या 1206 दिनांक 09.06.1992 जाली और मनगढ़ंत है तथा इसे कभी भी पंजीयन महानिरीक्षक के कार्यालय से जारी नहीं किया गया था।

(b) उक्त पत्र जिसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था तथा दिनांक 21.01.1993 के जवाबी हलफनामे में रिट याचिका सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 2932/92 (आर) में प्रयुक्त किया गया था, श्री एम. रामकृष्ण द्वारा दायर किया गया था।

(c) यह पाया गया कि पंजीयन महानिरीक्षक कार्यालय के अनुभाग अधिकारी श्री एस.के.दास ने वह पत्र संपदा-सह-सुरक्षा अधिकारी श्री ए.के. सिंह को सौंपा था।

(d) श्री ए.एन. त्रिपाठी , जो उस समय स्कूल के सहायक रजिस्ट्रार (स्थापना) थे, रिट पर काम कर रहे थे और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित थे।

(e) श्री ए.के. घोष , उस समय स्कूल के निदेशक थे और उस हैसियत से वे पूरी तरह से संलिप्त पाए गए तथा उन्हें सभी संबंधित सामग्री की जानकारी थी।

(f) श्री सहायक महानिरीक्षक पंजीयन विक्रम प्रसाद ने सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर कहा था कि यह पत्र उनके द्वारा जारी नहीं किया गया था, लेकिन जांच की अंतिम तिथि तक उन्होंने यह स्पष्ट रुख नहीं अपनाया कि पत्र पर हस्ताक्षर उनके हस्ताक्षर नहीं थे।

(ix) सभी आरोपी व्यक्ति अवैध हथियार का प्रयोग करने के दोषी थे।

उनके द्वारा सक्रिय मिलीभगत और षड्यंत्र के साथ न्यायालय में फर्जी पत्र प्रस्तुत किया गया ।

4. इस शिकायत के आधार पर दिनांक 20.08.1999 के आदेश द्वारा संज्ञान लिया गया तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, रांची द्वारा सम्मन जारी करने का आदेश दिया गया।

5. संज्ञान लिए जाने से पहले कुछ घटनाएं घटित हुई थीं, उदाहरण के लिए, 06.03.1998 को श्री एम.एस. छाबड़ा ने एक आवेदन सौंपा था जो कथित रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 (जिसे संक्षेप में " सीआरपीसी " कहा जाता है) के तहत एक आवेदन था। उच्च न्यायालय ने उसी दिन उस आवेदन को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि रजिस्ट्री द्वारा वर्तमान अपीलकर्ता सहित प्रतिवादियों को 02.04.1998 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया जाए। इस आदेश को इंडियन स्कूल ऑफ माइंस और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जिस पर इस न्यायालय ने इसे समय से पहले होने के कारण निपटा दिया था। यह देखा गया कि याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में नोटिस का जवाब देने के बजाय, एक विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से जल्दबाजी की थी और इसलिए, इस न्यायालय ने हस्तक्षेप करने के लिए इसे उपयुक्त मामला नहीं पाया।

6. इसके बाद अपीलकर्ता ने 12.04.1999 को पटना उच्च न्यायालय द्वारा धारा 340 सीआरपीसी के तहत जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दायर किया, जिसमें अपीलकर्ता ने इस बात से इनकार किया कि उसे 09.06.1992 के उपरोक्त दस्तावेज के बारे में कोई जानकारी थी। पटना में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने आदेश दिनांक 16.07.1999 द्वारा शासी परिषद के अध्यक्ष श्री बीके राव और शासी परिषद के दो अन्य सदस्यों श्री बीबी धर और श्री के पॉल को सीधे तौर पर आरोपमुक्त कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया, जो शासी परिषद का सदस्य भी था, क्योंकि वह संबंधित समय में भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद का कार्यवाहक निदेशक था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने आरोपियों की सूची में श्री विक्रम प्रसाद, सहायक महानिरीक्षक, निबंधन, बिहार, जो दिनांक 09.06.1992 के पत्र के हस्ताक्षरकर्ता थे।

7. जैसा कि पहले बताया गया है, पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा 09.08.1999 को शिकायत दर्ज की गई थी, जिस पर सीजेएम, रांची द्वारा संज्ञान लिया गया था। इसके बाद अपीलकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 16.07.1999 के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका संख्या 16037/1999 दायर की, जिसमें तीन अन्य व्यक्तियों को आरोपमुक्त कर दिया गया था, जबकि अपीलकर्ता सहित कुछ अन्य के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। इस न्यायालय ने 19.11.1999 को नोटिस जारी किया। हालाँकि, 17.04.2001 को, इस न्यायालय ने उक्त विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन अपीलकर्ता को आरोपमुक्त करने के लिए दलील देने के अधिकार सहित ट्रायल कोर्ट में सभी विवाद उठाने की अनुमति दी और उसे अग्रिम जमानत भी प्रदान की। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस प्रकार है:

> "हम याचिकाकर्ताओं को अपने सभी तर्क निचली अदालत में उठाने की अनुमति देते हैं, जिसमें आरोपमुक्ति के लिए दलील देने का अधिकार भी शामिल है। यदि याचिकाकर्ता निचली अदालत में पेश होते हैं और जमानत के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें अदालत द्वारा तय की गई राशि के बांड पर जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, चाहे वह जमानतदार हो या न हो। तदनुसार, विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती हैं।"

8. तदनुसार अपीलकर्ता 11.07.2005 को सीजेएम, रांची के समक्ष उपस्थित हुआ और जमानत प्राप्त की। इसके बाद, उसने उसी तिथि को डिस्चार्ज के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने समय रहते डिस्चार्ज आवेदन को खारिज कर दिया। और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने की कार्यवाही शुरू की। इसलिए याचिकाकर्ता ने डिस्चार्ज आवेदन को खारिज करने और आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय रांची में रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 315/2005 दायर की, जिसे 03/07.07.2006 को खारिज कर दिया गया, जिससे वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर करना आवश्यक हो गया।

9. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 16.07.1999 के निर्णय का हवाला दिया और कहा कि दिनांक 09.06.1992 का पत्र विभाग द्वारा की गई जांच में जाली और मनगढ़ंत पाया गया था और इसलिए यह धारा 195(1)(बी) सीआरपीसी के तहत अपराध है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि उस पत्र के संबंध में प्रतिबद्ध किया गया था। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने पहले के विस्तृत फैसले में, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट रूप से पाया था कि अपीलकर्ता को ऐसे जवाबी हलफनामे दाखिल करने की अच्छी जानकारी थी जिसमें भारतीय खनन विद्यालय की ओर से न्यायालय के समक्ष एक जाली पत्र का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप केवल संदेह पर आधारित थे। इसने आगे यह निष्कर्ष दर्ज किया कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य पर्याप्त थे। यह पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय है, जिस पर हमें विचार करना है।

10. श्री अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने सबसे पहले यह तर्क दिया कि अपीलकर्ता के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं है, जो उस समय इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद के कार्यवाहक निदेशक थे । उन्होंने इस न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेश का हवाला दिया और बताया कि इस न्यायालय ने अपीलकर्ता को डिस्चार्ज आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी थी और यह उसी आदेश के तहत आवेदन दायर किया गया था। श्री की आगे की दलील रंजीत कुमार का कहना है कि न तो ट्रायल कोर्ट और न ही हाई कोर्ट ने डिस्चार्ज आवेदन में उठाए गए सवालों पर विचार किया। उन्होंने गुण-दोष के आधार पर बताया कि यह अपीलकर्ता नहीं था जिसने 09.06.1992 का उपरोक्त पत्र लिखा था, न ही अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष शपथ ली थी या हलफनामा दायर किया था, जिसका कथित पत्र हिस्सा था, क्योंकि वह हलफनामा श्री एम. रामकृष्ण द्वारा शपथ लेकर दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने 09.06.1992 के पत्र से कोई लाभ भी नहीं उठाया था । उन्होंने आगे तर्क दिया कि इस न्यायालय के आदेश के बावजूद, विशेष रूप से अपीलकर्ता को डिस्चार्ज आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान करने के बावजूद, पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने डिस्चार्ज के पहलू पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया। विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपने कानूनी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से आग्रह किया कि उस समय जब धारा 340 सीआरपीसी के तहत जांच दिनांक 09.06.1992 के पत्र की कथित जालसाजी के संबंध में आदेश दिया गया था, धारा 195(1)(बी) सीआरपीसी के तहत विचारित दस्तावेज़ की जालसाजी के संदर्भ में कानून के प्रावधान और संबंधित धाराएं कोई आधार नहीं बनाती थीं।

न्यायालय के बाहर जालसाजी किए जाने और दस्तावेज़ को कानूनी हिरासत में लिए जाने के बीच अंतर । विद्वान वकील ने इकबाल सिंह मारवाह एवं अन्य बनाम इस न्यायालय के निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया । मीनाक्षी मारवाह एवं अन्य [2005 (4) एससीसी 370] जिसमें इस न्यायालय ने माना था कि धारा 340 के साथ धारा 195 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही केवल तभी शुरू की जा सकती है जब जालसाजी उस समय की गई हो जब दस्तावेज हिरासत में थे। कानूनी और तब नहीं जब जालसाजी न्यायालय के बाहर की गई थी, यानी दस्तावेज़ को किसी न्यायालय में कार्यवाही में पेश किए जाने या साक्ष्य के रूप में दिए जाने से पहले। इसलिए, उन्होंने आग्रह किया कि धारा 340 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। धारा 195 सीआरपीसी के तहत अपराधों के लिए तो और भी कम। और अन्य संबद्ध अपराध क्योंकि, बेशक, 09.06.1992 के दस्तावेज़ के संबंध में जालसाजी नहीं की गई थी जब पत्र को कानूनी हिरासत में लिया गया था । विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेश की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया जिसमें तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था, जिनकी परिस्थितियाँ यहाँ अपीलकर्ता के समान थीं।

11. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता ई की याचिका को खारिज करके तथा अभियोजन से मुक्त करने से इनकार करके सही किया। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता के पास पर्याप्त सामग्री थी तथा यह स्पष्ट था कि अपीलकर्ता को उक्त जालसाजी के बारे में पता था तथा वह जाली पत्र का उपयोग करने की साजिश में भागीदार था।

12. इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामले में, इस न्यायालय ने अपीलकर्ता को डिस्चार्ज आवेदन दायर करने के लिए विशेष रूप से स्वतंत्रता दी थी। हमने इस निर्णय के पैरा 7 में इस न्यायालय के उस आदेश का हवाला दिया है। तदनुसार, अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज आवेदन दायर किया, जहाँ मुकदमा लंबित था, जिसमें तर्क दिया गया कि आरोप तय करने के लिए भी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी। उक्त आवेदन में विशेष रूप से दलील दी गई थी कि उक्त डिस्चार्ज की मांग सीआरपीसी की धारा 245 की उप-धारा (2) के तहत की जा रही थी ।

13. मुकदमे की प्रक्रिया में आवश्यक अंतर

वारंट मामला और पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्य आधार पर संस्थित मामला सीआरपीसी की धाराओं 238 और 239 में विशेष रूप से चिह्नित है । एक तरफ तो सीआरपीसी की धाराओं 244 और 245 में। धारा 238 के अंतर्गत जब पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट को स्वयं को संतुष्ट करना होता है कि उसे आवश्यक दस्तावेज जैसे पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर, धारा 161 सीआरपीसी की उपधारा (3) के अंतर्गत दर्ज बयान , अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे जाने वाले प्रस्तावित सभी गवाहों के बयान, साथ ही धारा 164 के अंतर्गत दर्ज इकबालिया बयान और अन्य दस्तावेज, जो अभियोजन एजेंसी द्वारा न्यायालय को भेजे गए हैं, उपलब्ध करा दिए गए हैं। उसके बाद उन्मोचन का चरण आता है जिसके लिए सीआरपीसी की धारा 239 में प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 173 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों पर विचार करना होता है । और यदि आवश्यक हो, तो अभियुक्त की जांच करनी होगी और अभियुक्त के अभियोजन पक्ष को सुनना होगा, और यदि ऐसी जांच और सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोप निराधार है, तो वह अभियुक्त को आरोपमुक्त कर देगा और ऐसा करने के अपने कारण दर्ज करेगा। उस स्तर पर अभियोजन पक्ष को सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं है। यदि, उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच करने पर, वह प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मुकदमा चलाने के लिए आधार है, तो वह आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ता है। आरोप तय करने के लिए उसे अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। यह तब होता है जब आरोप सीआरपीसी की धारा 240 के तहत तय किया जाता है और सबूत दर्ज करने के लिए मुकदमा आगे बढ़ता है। इस प्रकार, ऐसे मुकदमे में अभियोजन पक्ष के पास केवल साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया जाता है और वह भी आरोप तय होने के बाद ही मिलता है।

14. हालांकि, पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी अन्य आधार पर शुरू किए गए वारंट ट्रायल में, जब अभियुक्त धारा 244(1) सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है या लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को अभियोजन पक्ष को सुनना होता है और अभियोजन पक्ष के समर्थन में पेश किए जाने वाले सभी साक्ष्य लेने होते हैं। इसमें मजिस्ट्रेट अभियोजन पक्ष के आवेदन पर धारा 244(2) सीआरपीसी के तहत गवाहों को समन भी जारी कर सकता है । ये सभी साक्ष्य

साक्ष्य । यह सब होने के बाद, साक्ष्य लिए जाते हैं, फिर मजिस्ट्रेट को धारा 245(1) सीआरपीसी के तहत विचार करना होता है कि क्या आरोपी के खिलाफ कोई ऐसा मामला बनता है, जिसका खंडन न किए जाने पर उसे दोषी ठहराया जा सकता है, और अगर मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आरोपी के खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं बनता है, तो मजिस्ट्रेट उसे बरी कर देता है। दूसरी ओर, अगर वह आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले से संतुष्ट है, तो मजिस्ट्रेट धारा 246(1) सीआरपीसी के तहत आरोप तय करेगा। फिर शिकायतकर्ता को आरोप के समर्थन में सबूत पेश करने का दूसरा मौका मिलता है, पुलिस रिपोर्ट पर वारंट ट्रायल के विपरीत, जहां केवल एक ही अवसर होता है। पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी अन्य तरीके से शुरू किए गए वारंट ट्रायल में, शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने के दो मौके मिलते हैं, पहला, आरोप तय होने से पहले और दूसरा, आरोप के बाद। बेशक, धारा 245(2) सीआरपीसी के तहत, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोप निराधार है , तो वह मामले के किसी भी पिछले चरण में आरोपी को बरी कर सकता है।

15. अनिवार्य रूप से, लागू धाराएँ धारा 244 और 245 Cr.PC हैं , क्योंकि यह पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी अन्य आधार पर शुरू किया गया वारंट ट्रायल है। अभियोजन पक्ष को धारा 244(1) Cr.PC के तहत साक्ष्य प्रस्तुत करने या धारा 244(2) Cr.PC के तहत अपने गवाहों को बुलाने का अवसर मिलना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ और इसके बजाय, अभियुक्त ने धारा 245(2) Cr.PC के तहत एक आवेदन दायर किया , इस आधार पर कि आरोप निराधार था।

16. अब, Cr.PC की धारा 245(1) और 245(2) में स्पष्ट अंतर है। धारा 245(1) के तहत, मजिस्ट्रेट को धारा 244 के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का लाभ मिलता है और उसे इस बात पर विचार करना होता है कि यदि साक्ष्य का खंडन नहीं किया जाता है , तो क्या अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित होगी। यदि साक्ष्य में कोई स्पष्ट रूप से दोषी ठहराने वाली सामग्री नहीं है, तो मजिस्ट्रेट धारा 245(1) Cr.PC के तहत अभियुक्त को बरी करने की कार्यवाही करता है।

सीआरपीसी के तहत स्थिति , हालांकि, अलग है। वहां, उप-धारा (2) के तहत, मजिस्ट्रेट के पास

के किसी भी पिछले चरण में , यानी सबूत पेश किए जाने से पहले भी, अभियुक्त को बरी करने की शक्ति । हालांकि, धारा 245(2) Cr.PC के तहत अभियुक्त को बरी करने के लिए , मजिस्ट्रेट को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि आरोप निराधार है। उस चरण में सबूतों पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं है। मजिस्ट्रेट यह निर्णय अभियुक्त के पेश होने या न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने या धारा 244 Cr.PC के तहत सबूत पेश किए जाने से पहले ले सकता है । धारा 245(2) Cr.PC में आने वाले शब्द " मामले के किसी भी पिछले चरण" से यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है । यह देखना बेहतर होगा कि वह "पिछला चरण" क्या है ।

18. पिछला चरण स्पष्ट रूप से धारा 244(1) सीआरपीसी के तहत अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के पूरा होने से पहले या उससे पहले का कोई चरण होगा। ऐसे चरण धारा 200 सीआरपीसी से धारा 204 सीआरपीसी के तहत होंगे । धारा 200 के तहत, संज्ञान लेने के बाद, मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता या ऐसे अन्य गवाहों की जांच करता है, जो मौजूद हैं। शिकायतकर्ता और उसके गवाहों की ऐसी परीक्षा आवश्यक नहीं है, जहां शिकायत किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में की गई है या जहां अदालत ने शिकायत की है या आगे, यदि मजिस्ट्रेट धारा 192 सीआरपीसी के तहत मामले को जांच या परीक्षण के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को सौंप देता है। धारा 201 सीआरपीसी के तहत , यदि मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है, तो वह शिकायत को उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वापस कर देगा या शिकायतकर्ता को उचित न्यायालय में निर्देशित करेगा। धारा 202 सीआरपीसी आदेश जारी करने के स्थगन से संबंधित है। उप-धारा (1) के तहत, वह पुलिस अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जांच करने का निर्देश दे सकता है, जिसे वह उचित समझे, यह तय करने के उद्देश्य से कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। धारा 202(1) (ए) सीआरपीसी के तहत , मजिस्ट्रेट जी को ऐसी जांच के लिए ऐसा निर्देश नहीं दे सकता है, जहां उसे लगता है कि शिकायत किया गया अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। धारा 202(1)(बी) सीआरपीसी के तहत , ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है, जहां शिकायत न्यायालय द्वारा की गई हो। धारा 203 सीआरपीसी के तहत , मजिस्ट्रेट, शिकायत दर्ज करने के बाद

शिकायतकर्ता और गवाहों के शपथ पर बयान या धारा 202 सीआरपीसी के तहत आदेशित जांच या जांच के परिणाम के आधार पर, शिकायत को खारिज कर सकता है यदि वह पाता है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। दूसरी ओर, यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है, तो वह धारा 204 सीआरपीसी के तहत प्रक्रिया जारी कर सकता है । वह अभियुक्त की उपस्थिति के लिए समन जारी कर सकता है और वारंट-केस में, वह अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वारंट, या यदि वह ठीक समझता है, तो समन जारी कर सकता है। धारा 204 सीआरपीसी की उप-धारा (2), (3), (4) और (5) हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। वास्तव में यहां, धारा 245 सीआरपीसी के तहत संदर्भित पिछला चरण सामान्य रूप से समाप्त हो जाता है, क्योंकि अगला चरण केवल धारा 244 सीआरपीसी के तहत वारंट-केस में मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति है । धारा 244 के अंतर्गत अभियुक्त के उपस्थित होने पर मजिस्ट्रेट अभियोजन पक्ष की सुनवाई करता है तथा अभियोजन पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत किए जा सकने वाले सभी साक्ष्य लेता है। वह उस स्तर पर अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर किसी भी गवाह को समन भी जारी कर सकता है। इसके बाद धारा 245(1) सीआरपीसी का चरण आता है , जहां मजिस्ट्रेट धारा 244(1) सीआरपीसी के अंतर्गत लिए गए सभी साक्ष्यों पर विचार करने का कार्य करता है, तथा यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाया गया है, जिसका खंडन न किए जाने पर अभियुक्त की दोषसिद्धि सुनिश्चित हो सके, तो मजिस्ट्रेट उसे बरी करने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि, धारा 245(2) सीआरपीसी के अंतर्गत स्थिति भिन्न है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है। इसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट को मामले के किसी भी पिछले चरण में अभियुक्त को बरी करने का अधिकार है । हम पहले ही दिखा चुके हैं कि वह पिछला चरण धारा 200 से 204 सीआरपीसी तक हो सकता है । और धारा 244 सीआरपीसी के तहत अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पूरे होने तक। इस प्रकार, मजिस्ट्रेट अभियुक्त को तब भी डिस्चार्ज कर सकता है जब अभियुक्त समन या वारंट के अनुसरण में उपस्थित होता है और धारा 244 सीआरपीसी के तहत साक्ष्य पेश किए जाने से पहले भी डिस्चार्ज के लिए आवेदन करता है।

19. वर्तमान मामले में मजिस्ट्रेट ने आरोप खारिज नहीं किया।

धारा 203 Cr.PC के तहत शिकायत । हालाँकि, चूँकि यह न्यायालय द्वारा की गई शिकायत थी, इसलिए धारा 200 Cr.PC के तहत शिकायतकर्ता या उसके किसी गवाह की जाँच करने का कोई सवाल ही नहीं था। इसके अलावा, धारा 202 Cr.PC के तहत जाँच के लिए कोई निर्देश जारी करने का भी कोई सवाल ही नहीं था , क्योंकि शिकायत न्यायालय द्वारा की गई थी। यह धारा 202(1) Cr.PC के शब्दों से स्पष्ट है । यह इस प्रकार है:-

"202(1).....

बशर्ते कि जांच के लिए ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा-

(ए) x x x x

(ख) जहां शिकायत न्यायालय द्वारा नहीं की गई है, तब तक जब तक शिकायतकर्ता और उपस्थित साक्षियों (यदि कोई हों) की धारा 200 के अधीन शपथ पर जांच नहीं कर ली गई हो। "

हम पहले ही बता चुके हैं कि चूंकि यह न्यायालय द्वारा की गई शिकायत थी, इसलिए शिकायतकर्ता या उसके गवाहों की शपथ पर जांच का कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, मजिस्ट्रेट ने केवल धारा 204 सीआरपीसी के तहत प्रक्रिया जारी की । जब अभियुक्त धारा 244 सीआरपीसी के तहत भेजे गए समन के अनुसरण में उपस्थित हुआ, तो बचाव पक्ष ने एक आवेदन प्रस्तुत किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस स्तर पर डिस्चार्ज आवेदन पूरी तरह से उचित था। इसलिए, मजिस्ट्रेट के पास डिस्चार्ज आवेदन के अलावा जो उपलब्ध था, वह केवल एक शिकायत थी । मजिस्ट्रेट के पास आरोप तय करने पर विचार करने के लिए शिकायत के अलावा बिल्कुल भी कुछ उपलब्ध नहीं था । मजिस्ट्रेट, निस्संदेह, डिस्चार्ज आवेदन के आधार पर धारा 245(2) सीआरपीसी के तहत आगे बढ़ सकते थे और उसे डिस्चार्ज कर सकते थे। हालांकि, उन्हें उस स्तर पर डिस्चार्ज करने के लिए कारण बताने की आवश्यकता होती, जब उनके पास केवल एक शिकायत को छोड़कर कोई सबूत या कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी।

20. इस मामले में मजिस्ट्रेट ने न केवल

आवेदन , लेकिन आरोप तय करने के लिए भी आगे बढ़ा, जिस आदेश को डिवीजन बेंच के समक्ष दायर रिट याचिका में भी चुनौती दी गई थी। अब हमें यह देखना है कि मजिस्ट्रेट द्वारा डिस्चार्ज आवेदन को खारिज करने और फिर सीधे धारा 246(1) सीआरपीसी के तहत आरोप तय करने का औचित्य था या नहीं । यदि धारा 245(2) सीआरपीसी के तहत किसी भी पिछले चरण में डिस्चार्ज हो सकता है, जिसके बारे में हमने चर्चा की है, एक आवश्यक अनुक्रम है, उस चरण में भी आवेदन किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के पास धारा 245(2) सीआरपीसी के तहत अभियुक्त को डिस्चार्ज करने का अधिकार है। किसी भी पिछले चरण में, यानी, धारा 244(1) सीआरपीसी के तहत सबूत दर्ज किए जाने से पहले , जो कि स्थापित कानून प्रतीत होता है , खासकर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल एंड ऑर्स बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ऑर्स में फैसले के मद्देनजर । 1971 (3) एससीसी 239 में रिपोर्ट की गई , साथ ही लुइस डी में बॉम्बे उच्च न्यायालय के बाद के निर्णय पियादादे लोबो बनाम महादेव 1984 क्रिमिनल लॉ जर्नल 513 में रिपोर्ट किया गया। इसी निर्णय का अनुसरण केरल उच्च न्यायालय ने मनमोहन मामले में किया था मल्होत्रा बनाम पीएम अब्दुल सलाम और अन्य 1994 के क्रिमिनल लॉ जर्नल 1555 में रिपोर्ट किया गया और माननीय न्यायमूर्ति केटी थॉमस, जो उस समय विद्वान न्यायाधीश थे, ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि मजिस्ट्रेट के पास धारा 245(2) सीआरपीसी के तहत किसी भी पिछले चरण में अभियुक्त को बरी करने की शक्ति है। माननीय न्यायाधीश ने मोहम्मद शेरिफ बनाम अब्दुल करीम में मद्रास उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया । एआईआर1928 मद्रास 129 में रिपोर्ट की गई , साथ ही गोपाल में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय भी चौहान बनाम श्रीमती सत्य 1979 में क्रिमिनल लॉ जर्नल 446 में रिपोर्ट की गई। हम इस बात से सहमत हैं कि धारा 245(2) सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट किसी भी पिछले चरण में आरोपी को डिस्चार्ज कर सकता है, यानी धारा 244(1) सीआरपीसी के तहत कोई भी साक्ष्य दर्ज होने से पहले भी। इस दृष्टिकोण से, आरोपी ने आवेदन किया हो सकता है। यह स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट ने आवेदन को खारिज कर दिया है। अब तक, कोई कठिनाई नहीं है।

सीआरपीसी के तहत आरोप तय करने के लिए ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में उत्पन्न होती है यह स्पष्ट है कि इस मामले में आरोप तय करने के उस चरण में, कोई भी आरोपी आरोपी नहीं था।

निचली अदालत के पास शिकायत के अलावा जो भी सामग्री उपलब्ध थी, वह शिकायतकर्ता या उसके किसी गवाह के शपथ पर दिए गए बयान से समर्थित नहीं थी, जो आमतौर पर सीआरपीसी की धारा 200 के स्तर पर दर्ज किए जाते हैं । इस मामले में, चूंकि शिकायत अदालत द्वारा की गई थी, इसलिए शिकायतकर्ता या उसके किसी गवाह का ऐसा कोई बयान दर्ज नहीं किया गया। यहां भी निचली अदालत ने कोई गलती नहीं की है। फिर से, निचली अदालत ने प्रक्रिया जारी करने में भी कोई गलती नहीं की है, अगर निचली अदालत को लगा कि कार्यवाही के लिए आधार था। असली सवाल, जो हालांकि, आता है, वह यह है कि धारा 245(2) सीआरपीसी के तहत अभियुक्त द्वारा किए गए आवेदन को खारिज करने के बाद , निचली अदालत ने सीधे आरोप तय करने के लिए कैसे कार्यवाही की।

22. आरोप धारा 246(1) सीआरपीसी के तहत तय किया गया है , जो निम्नानुसार है: -

> "246(1) यदि ऐसा साक्ष्य लिए जाने के समय या मामले के किसी पूर्व प्रक्रम पर मजिस्ट्रेट की यह राय है कि यह उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन विचारणीय कोई अपराध किया है, जिसका विचारण करने के लिए वह मजिस्ट्रेट सक्षम है और जिसके लिए उसकी राय में वह पर्याप्त रूप से दण्डित कर सकता है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध लिखित रूप में आरोप विरचित करेगा।"

धारा की भाषा से स्पष्ट है कि यदि मजिस्ट्रेट की राय में यह माना जाता है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अंतर्गत विचारणीय अपराध किया है, तो शिकायतकर्ता द्वारा धारा 244(1) Cr.PC के चरण में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोप तय किया जाना चाहिए। इसलिए, आमतौर पर, जब अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 244 Cr.PC के अंतर्गत साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है , तो मजिस्ट्रेट को उस पर विचार करना होता है, और यदि वह आश्वस्त हो जाता है, तो मजिस्ट्रेट आरोप तय कर सकता है। अब, यहाँ, हालाँकि, एक ग्रे क्षेत्र है। धारा 246(1) Cr.PC बहुत ही विचित्र रूप से शब्दबद्ध है। उक्त ग्रे क्षेत्र "या मामले के किसी भी पिछले चरण में" वाक्यांश के कारण है। सवाल यह है कि क्या किसी भी पहले भी

धारा 244 सीआरपीसी के तहत साक्ष्य पेश किए जाने के बाद , क्या मजिस्ट्रेट सीधे आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ सकता है। इस प्रश्न पर बहस नई नहीं है, हालांकि इस मुद्दे पर इस न्यायालय का कोई आधिकारिक बयान नहीं है। ऐसे मामले हैं, जहां उच्च न्यायालयों ने विशेष रूप से यह दृष्टिकोण अपनाया है कि यह वाक्यांश मजिस्ट्रेट को किसी भी साक्ष्य के अभाव में कोई भी आरोप तय करने का अधिकार नहीं देता है। इस स्तर पर, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि धारा 246 सीआरपीसी में प्रयुक्त शब्द "साक्ष्य" है, इसलिए धारा 244 सीआरपीसी में भी प्रयुक्त शब्द "साक्ष्य" है । इसलिए, आमतौर पर, धारा 246 सीआरपीसी की योजना यह है कि, यह केवल किसी भी साक्ष्य के आधार पर है कि मजिस्ट्रेट को यह तय करना है कि क्या यह मानने का कोई आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के तहत विचारणीय अपराध किया है ।

23. इस प्रश्न पर विचार करने से पहले, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि धारा 245(2) Cr.p.C. जहां आरोप निराधार होने के आधार पर अभियुक्त को मुक्त करने की बात करती है, वहीं धारा 246(1) पूरी तरह से अलग क्षेत्र में काम करती है। धारा 245(2) Cr.p.C. के तहत आदेश के परिणामस्वरूप अभियुक्त को मुक्त किया जाता है, जबकि धारा 246 Cr.p.C. के तहत आदेश के परिणामस्वरूप अभियुक्त को पूर्ण परीक्षण का सामना करने की स्थिति बनती है। इसलिए, दोनों धाराओं की व्याख्या अलग - अलग क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए थोड़े अलग तरीके से करनी होगी, जिसमें वे काम करती हैं। धारा 246 Cr.p.C. में आने वाले शब्द " या मामले के किसी भी पिछले चरण में" में धारा 245 भी शामिल होगी , जहां अभियुक्त को धारा 245 Cr.p.C. के तहत मुक्त नहीं किया गया है , जबकि धारा 246(2) में समान शब्द किसी भी साक्ष्य को दर्ज किए जाने से पहले के चरण को भी शामिल कर सकता है । इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि धारा 245 सीआरपीसी में आने वाले शब्दों "मामले के किसी भी पिछले चरण में" को धारा 246 सीआरपीसी में आने पर वही अर्थ दिया जाना होगा ।

संभाजी महाराज मामले में निर्णय दिया। नागु बनाम महाराष्ट्र राज्य ने 1979 में क्रिमिनल लॉ जर्नल 390 में रिपोर्ट की , इस मामले पर विचार किया है। धारा 246(1) Cr.p.C के तहत "किसी भी पिछले चरण में" शब्दों की व्याख्या करते हुए, उस मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे

यह वाक्यांश केवल यह सुझाव देता है कि मजिस्ट्रेट धारा 244 सीआरपीसी के तहत "सभी" सबूत पूरे होने से पहले भी आरोप तय कर सकता है । धारा 244 सीआरपीसी । विशेष रूप से यह अनिवार्य करती है कि जैसे ही अभियुक्त पेश होता है या अदालत के सामने लाया जाता है, मजिस्ट्रेट अभियोजन पक्ष को सुनने के लिए आगे बढ़ेगा और अभियोजन पक्ष के समर्थन में पेश किए जा सकने वाले सभी सबूत लेगा। इसके अलावा, धारा 245 सीआरपीसी । यह भी अनिवार्य करती है कि यदि धारा 244 सीआरपीसी में संदर्भित सभी सबूत लेने पर , मजिस्ट्रेट दर्ज किए जाने वाले कारणों से मानता है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया है, जो कि अगर खंडन नहीं किया जाता है, तो उसकी सजा को उचित ठहराएगा, मजिस्ट्रेट उसे छुट्टी दे देगा। धारा 246 सीआरपीसी में भी , वाक्यांश "यदि, जब ऐसा सबूत लिया गया है" है बॉम्बे हाई कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस वाक्यांश का मतलब यह होगा कि मजिस्ट्रेट सभी साक्ष्य पूरे होने से पहले ही आरोप तय करना पसंद कर सकता है। वाक्यांश पर विचार करने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सामान्य खंड मजिस्ट्रेट को आरोप तय करने की अनुमति नहीं देता, जब तक कि रिकॉर्ड पर कुछ सबूत न हों। इसके लिए, उस मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश ने अब्दुल नबी बनाम गुलाम के फैसले पर भरोसा किया। मुर्थुज़ा 1968 क्रिमिनल लॉ जर्नल 303 में रिपोर्ट किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि टीके अप्पू नायर बनाम अर्नेस्ट में भी ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसकी रिपोर्ट एआईआर 1967 मद्रास 262 और एम . श्रीहरि में दी गई है। राव एआईआर 1964 आंध्र प्रदेश 226 में रिपोर्ट की गई है। पी में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया है। युगेंडर राव एवं अन्य बनाम जे . सम्पूर्णा एवं अन्य एफ 1990 क्रिमिनल लॉ जर्नल 762 में रिपोर्ट की गई , जहां यह व्यक्त किया गया है कि पिछला चरण कुछ साक्ष्य रिकॉर्ड करने के बाद का चरण है। यह न तो किसी भी साक्ष्य को रिकॉर्ड करने से पहले का चरण है और न ही संपूर्ण साक्ष्य रिकॉर्ड करने के बाद का चरण है, बल्कि यह बीच का चरण है। इस प्रकार, धारा 246(1) Cr.PC में आने वाले " मामले के किसी भी पिछले चरण G पर" शब्दों की व्याख्या भी संहिता में क्रमांकित धाराओं के क्रम और धारा 246 Cr.PC को दिए गए शीर्षक , अर्थात "प्रक्रिया जहां अभियुक्त को मुक्त नहीं किया जाता है" के साथ अधिक सुसंगत प्रतीत होती है। धारा का शीर्षक ही यह संकेत देता है कि यह

सीआरपीसी के तहत मामले की जांच किए जाने के बाद ही यह मामला प्रभावी होगा और आरोपी को इसके तहत दोषमुक्त नहीं किया जाएगा। इसलिए, मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक है कि वह इस प्रश्न पर विचार करने के लिए मामले की जांच करे कि क्या आरोपी को धारा 245 सीआरपीसी के तहत दोषमुक्त किया जा सकता है और जब उसे अन्यथा लगे, तभी वह धारा 246 सीआरपीसी का सहारा ले सकता है ।

25. विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस फैसले में अब्दुल नबी बनाम गुलाम में उसी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक अन्य फैसले पर भी गौर किया है। मुर्थुज़ा 1968 के क्रिमिनल लॉ जर्नल 303 (ऊपर उद्धृत) में रिपोर्ट की गई । इसलिए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण लगातार यह है कि आरोप तय करने से पहले कुछ सबूत होने चाहिए। उगेंदर के अंतिम उल्लेखित मामले में राव एवं अन्य . बनाम जे. सम्पूर्णा एवं अन्य . 1990 के क्रिमिनल लॉ जर्नल 762 में रिपोर्ट के अनुसार , क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एवं अन्य में इस न्यायालय के निर्णय के संबंध में एक गलत अवलोकन है । 1971 (3) एससीसी 239 (ऊपर उद्धृत) में रिपोर्ट की गई है कि मजिस्ट्रेट धारा 244 सीआरपीसी के तहत किसी भी साक्ष्य को रिकॉर्ड करने से पहले आरोपी को आरोपमुक्त नहीं कर सकता है। हम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (ऊपर उद्धृत) के उपरोक्त मामले में ऐसी अभिव्यक्ति नहीं पा सके हैं । वह पुरानी धारा 253(2) के तहत एक मामला था, जो कि समान है । वर्तमान धारा 245(1) के लिए सामग्री । दूसरी ओर, न्यायालय ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि धारा 253(2) मजिस्ट्रेट को उसमें वर्णित परिस्थितियों में अभियुक्त को मुक्त करने के लिए पर्याप्त अधिकार क्षेत्र देती है और मामले के किसी भी पिछले चरण में निर्वहन का आदेश पारित किया जा सकता है, पैरा 13 में आगे कहा गया है कि उन परिस्थितियों में उप-धारा (1) मजिस्ट्रेट द्वारा उप-धारा (2) के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर रोक के रूप में कार्य नहीं करेगी। चूंकि हमें उपर्युक्त निर्णय में त्रुटि मिली है, इसलिए हमने इसका उल्लेख किया है। हालाँकि, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ बंगाल और अन्य में निर्णय । बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य (ऊपर उद्धृत) भी हमारे पहले के निष्कर्ष का समर्थन करता है कि मजिस्ट्रेट के पास कोई साक्ष्य प्रस्तुत होने से पहले ही अभियुक्त को बरी करने का अधिकार है ।

दर्ज किया गया है और इस प्रकार, उस चरण में आरोपमुक्ति के लिए आवेदन पूरी तरह से न्यायोचित है। हालाँकि, जहाँ तक धारा 246(1) Cr.PC का सवाल है, हमारा स्पष्ट मत है कि आरोप तय करने के लिए कुछ सबूत होने चाहिए।

26. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का वीरेंद्र मामले में केवल एक ही निर्णय है बनाम आश्रय मेकर्स ने 1999 के क्रिमिनल लॉ जर्नल 4206 में रिपोर्ट की , जिसमें यह दृष्टिकोण अपनाया गया था कि मजिस्ट्रेट धारा 244 सीआरपीसी के तहत बिना कोई सबूत लिए भी आरोप तय कर सकता है। हमें नहीं लगता कि यह कानून की सही अभिव्यक्ति है, क्योंकि धारा 244(1) सीआरपीसी के स्तर पर गवाहों से जिरह करने का आरोपी का अधिकार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, अगर यह दृष्टिकोण अपनाया जाए कि सबूत के बिना भी धारा 246(1) सीआरपीसी के तहत आरोप तय किया जा सकता है। जिरह का अधिकार बहुत ही लाभकारी अधिकार है और आरोपी को गवाहों से जिरह करने का अवसर दिया जाना चाहिए, जिन्हें धारा 244(1) सीआरपीसी के स्तर पर पेश किया गया है। आरोपी जिरह के जरिए यह दिखा सकता है कि उसके खिलाफ मुकदमे का सामना करने का कोई उचित आधार नहीं है और इस उद्देश्य के लिए अभियोजन पक्ष को कुछ सबूत पेश करने होंगे। इस धारा की व्याख्या करते समय, अभियुक्त को न्यायालय को यह दिखाने का अवसर खोने से होने वाले पूर्वाग्रह को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि उसके खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण वह मुकदमे का सामना करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। दुर्भाग्य से, उसी न्यायालय के पहले के मामले, जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है, विद्वान न्यायाधीश के ध्यान में लाए गए थे। फिर से, विद्वान न्यायाधीश ने "मामले के किसी भी पिछले चरण में" खंड के वास्तविक प्रभाव पर विचार नहीं किया है, जिसका केवल यही अर्थ हो सकता है कि एक भी गवाह के साथ, मजिस्ट्रेट आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ सकता है।

27. अब, इस मामले के तथ्यों पर आते हुए, यह स्पष्ट है कि अभियुक्तों को गवाहों से जिरह करने का अवसर खो दिया गया है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने सीधे आरोप तय करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। इस दृष्टि से, हमें आरोप तय करने के आदेश को रद्द करना होगा। तदनुसार, इसे रद्द किया जाता है। मामला अब ट्रायल कोर्ट के समक्ष वापस जाएगा, जहां अभियोजन पक्ष अपनी दलीलें पेश कर सकता है।

सीआरपीसी के तहत गवाहों को पेश किया जाएगा और आरोपी को जिरह करने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद ही ट्रायल कोर्ट यह तय करेगा कि आरोप तय किया जाना है या नहीं। हमारे द्वारा दिए गए कारणों के मद्देनजर इस मामले में तय किया गया आरोप स्पष्ट रूप से समय से पहले है। इसलिए आरोप तय करने के आदेश को रद्द करना होगा।

28. हम गुण-दोष के आधार पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, खास तौर पर इसलिए क्योंकि हमने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को धारा 244(1) सीआरपीसी के तहत पेश करने का निर्देश दिया है। हमारी ओर से किसी भी तरह की अभिव्यक्ति से अभियोजन पक्ष, जैसा भी मामला हो, अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह पैदा होने की संभावना है। इसलिए हम इस मामले को यहीं छोड़ रहे हैं।

29. तदनुसार, अपील का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि मामला अब ट्रायल कोर्ट में वापस जाएगा और ट्रायल कोर्ट अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी गवाहों की जांच करेगा और उन गवाहों के साक्ष्य दर्ज होने के बाद ही ट्रायल कोर्ट यह तय करेगा कि आरोप तय किया जाना चाहिए या नहीं। इस प्रकार, अपील आंशिक रूप से सफल होती है।

जीएन अपील निपटा दी गई।

यह अनुवाद लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।